न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 53/2022

GCMS NO. : 2022/86

-: वादीगण :-	बनाम	-: प्रतिवादी :-
1.परमाई पत्नी मांगीलाल 2.माडीदेवी पत्नी पुखाराम जातियान गुर्जर निवासीगण गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.22/07/2022

उपस्थितः- 1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता वादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 31/07/2023**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की खरीद सुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम गरनिया पटवार हल्का गरनिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 100 रकबा 4.3625 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है, जिसमें वादीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हक-हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति वादीगण ने खरीद की उस समय नामान्तरण में वादीगण के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादीगण संख्या 1 का नाम परमादेवी पत्नी मांगीलाल व वादीगण संख्या 2 का नाम माडकी पत्नी पुखा के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण संख्या 1 का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम परमाई पत्नी मांगीलाल है तथा वादीगण संख्या 2 का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम माडीदेवी पत्नी पुखाराम है, जो वादीगण के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड आदि में भी वादीगण संख्या 1 का नाम परमाई पत्नी मांगीलाल दर्ज है तथा वादीगण संख्या 2 का नाम माडीदेवी पत्नी पुखाराम दर्ज है। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रु[illegible]ग एन्ट्री है, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चली आ [illegible] एन्ट्री की जानकारी दिनांक 10/06/2022 को होने प[illegible] करने [illegible]ता चला तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

वादीगण ने राजस्व रेकर्ड में अपना सही व वास्तविक तथा दस्तावेज नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरूस्त करवाने का कथन किया। जिसके सम्बन्ध में वादीगण की खरीद सुदा सम्पत्ति में उक्त रोग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने की अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादीगण को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशनियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहे है, न ही ऋण व किसान कार्ड आदि बन रहे है। जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होनें मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कथन किया। सहखातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है। इसलिए सहखातेदारान काश्तकारान् को प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर है, इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 10/06/2022 को पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने एवं प्रतिवादी से राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम को दुरूस्त कर सही व वास्तविक तथा दस्तावेज नाम का इन्द्राज करने का निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम गरनिया, तहसील जैतारण, जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादी संख्या 1 का नाम पंजीयन दस्तावेज (बेचाननामा) के ना0सं0 910 से परमादेवी पत्नी मांगीलाल दर्ज हुआ एवं वादी संख्या 2 का नाम विरासत के ना0सं0 669 से माडकी बेवा पुखा दर्ज हुआ है। जो रोंग एन्ट्री नहीं है। वादीगण के उक्त नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज होने से रोंग एन्ट्री नहीं है। वादी संख्या 1 के पास उपलब्ध दस्तावेज मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक में नाम परमाई पत्नी मांगीलाल है। वादी संख्या 2 के पास उपलब दस्तावेज जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक में माडीदेवी पत्नी पुखाराम है। वाद में संलग्न दस्तावेजों अनुसार वादीगण अपना नाम संशोधन कराना चाहते है, जिसमें जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील वादीगण [illegible] यं वादी परमाई पत्नी मांगीलाल, माडीदेवी पत्नी पु[illegible] दिनेश गुर्जर पुत्र मांगीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलक्टर
जैतारण

के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. ग्राम गरनीया की जमाबन्दी संवत् 2055–2058 (प्रदर्श–2) के खसरा नम्बर 100 रकबा 26–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल में नामान्तरकरण के अंकित नोट संख्या 669 दिनांक 11.10.2001 के अनुसार पुखा पुत्र कालु के फौत होने पर विरासत से मांगीलाल पुत्र पुखा, माडकी बेवा पुखा का नाम दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत् 2063–2066 (प्रदर्श–4) में नामान्तरकरण के अंकित नोट संख्या 910 दिनांक 05.12.2009 के अनुसार बैचान से बगदाराम पुत्र काना कौम खाती, मदनदास ढगलदास पि0 मोहन के स्थान पर परमादेवी पत्नी मांगीलाल का नाम दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श–7ए) के अनुसार बगदाराम पुत्र काना कौम खाती, मदनदास, ढगलदास पि0 मोहन कौम दास ने खसरा नम्बर 100 में से अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि क्रेता परमादेवी पत्नी मांगीलाल को बैचान की। वादीगण के उक्त नाम का इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2067–2070 (प्रदर्श–5), संवत् 2071–2074 (प्रदर्श–6) एवं संवत् 2075–2078 (प्रदर्श–1) में अंकित है।
2. वादीगण परमाई पत्नी मांगीलाल एवं माडीदेवी पत्नी पुखाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र क्रमशः P/W 01, P/W 02 के अनुसार वादीगण ने यह सशपथ कथन किया कि " उक्त सम्पत्ति हम वादीगण ने खरीद की उस समय नामान्तरण में हम वादीगण के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम परमादेवी पत्नी मांगीलाल व माडकी पत्नी पुखा के नाम से नामान्तरणकरण दर्ज कर दिया गया। वादी संख्या 1 का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम परमाई पत्नी मांगीलाल एवं वादी संख्या 2 का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम माडीदेवी पत्नी पुखाराम है।" अन्य शहादत में गवाह दिनेश गुर्जर पुत्र मांगीलाल निवासी गरनिया तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 03 प्रस्तुत किया। गवाह दिनेश गुर्जर ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि "मैं गरनिया गांव का निवासी हुँ तथा वादीया परमाई व माडीदेवी को अच्छी तरह से जानता हुँ। हम एक ही जाति के हैं। वादीया माडीदेवी का सही नाम माडकी पत्नी पुखा न होकर माडीदेवी पत्नी पुखाराम है एवं परमाई का सही नाम परमादेवी पत्नी मांगीलाल न होकर परमाई पत्नी मांगीलाल है।"
3. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन [illegible] स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–8ए (आधार–कार्ड), प्रदर्श–9ए (निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र), प्रदर्श–10ए (भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक) में वादी संख्या 1 का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

परमाई पत्नी मांगीलाल अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श–11ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–12 (पैन कार्ड), प्रदर्श–13ए (निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान–पत्र), प्रदर्श–14ए (राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन–कार्ड), प्रदर्श–15ए (जनआधार–कार्ड) एवं प्रदर्श–16ए (भारतीय स्टेट बैं की पासबुक) में वादी संख्या 2 का नाम माडीदेवी पत्नी पुकाराम अंकित है।

4. प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि वादी संख्या 1 का नाम पंजीयन दस्तावेज (बेचाननामा) के ना0सं0 910 से परमादेवी पत्नी मांगीलाल दर्ज हुआ एवं वादी संख्या 2 का नाम विरासत के ना0सं0 669 से माडकी बेवा पुखा दर्ज हुआ है। जो रोंग एन्ट्री नहीं है। वादी संख्या 1 के पास उपलब्ध दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक में नाम परमाई पत्नी मांगीलाल है। वादी संख्या 2 के पास उपलब दस्तावेज जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक में माडीदेवी पत्नी पुखाराम है। वाद में संलग्न दस्तावेजों अनुसार वादीगण अपना नाम संशोधन कराना चाहते है, जिसमें जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ–पत्र एवं गवाह स्वयं वादी परमाई पत्नी मांगीलाल, माडीदेवी पत्नी पुखाराम एवं अन्य गवाह दिनेश गुर्जर पुत्र मांगीलाल का शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 100 रकबा 4.3625 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल ग्राम गरनीया पटवार हल्का गरनीया के भू–अभिलेख में दर्ज वादीगण के नाम की प्रविष्टि परमादेवी पत्नी मांगीलाल, माडकी पत्नी पुखा के स्थान पर वादीगण के दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः परमाई पत्नी मांगीलाल, माडीदेवी पत्नी पुकाराम है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'परमादेवी पत्नी मांगीलाल, माडकी पत्नी पुखा' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर क्रमशः 'परमाई पत्नी मांगीलाल, माडीदेवी पत्नी पुकाराम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: <u>आदेश</u> ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा गरनीया पटवार हल्का गरनीया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 100 रकबा 4.3625 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख में** वादीगण के नाम ***परमादेवी पत्नी मांगीलाल, माडकी पत्नी पुखा*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादीगण के नाम की निम्न प्रविष्टियाँ यथा– ***'परमादेवी पत्नी मांगीलाल' के स्थान पर 'परमाई पत्नी मांगीलाल', 'माडकी***

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

पत्नी पुखा' *के स्थान पर* ***'माडीदेवी पत्नी पुकाराम '*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 31/07/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण**
बईजलास :- **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-: वादीगण :-	बनाम	-: प्रतिवादी :-
1.परमाई पत्नी मांगीलाल 2.माडीदेवी पत्नी पुखाराम जातियान गुर्जर निवासीगण गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0- 53/2022

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा गरनीया पटवार हल्का गरनीया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 100 रकबा 4.3625 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के **भू-अभिलेख में** वादीगण के नाम ***परमादेवी पत्नी मांगीलाल, माडकी पत्नी पुखा*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की निम्न प्रविष्टियाँ यथा- ***'परमादेवी पत्नी मांगीलाल '*** *के स्थान पर* ***'परमाई पत्नी मांगीलाल', 'माडकी पत्नी पुखा'*** *के स्थान पर* ***'माडीदेवी पत्नी पुकाराम '*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **31/07/2023** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	0.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः-	03.00	मिजानः-	0.00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कोई खर्चा यह हो जिनकी चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:44 IST
Reason: SelfAttested